D:\ADNSD\O.C. 2013.docx - ISD

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ. 3(51)पोषा/SHG/ICDS/2016/ 85912-55 जयपुर, दिनांक 8/7/16

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :– स्वयं सहायता समूहों द्वारा आपूर्ति किये जा रहे पूरक पोषाहार के गुणवत्ता अंकेक्षण (Quality Audit) बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से टेक होम राशन, नाश्ता एवं गरम पूरक पोषाहार की आपूर्ति कराई जा रही है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा आपूर्ति किये जा रहे पूरक पोषाहार की गुणवत्ता एवं पूरक पोषाहार के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर आदेश जारी किये गये हैं।

उक्त आदेशों की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी अपने अधीनस्थ महिला/पुरूष पर्यवेक्षकों को एक दूसरे सैक्टर में पोषाहार की गुणवत्ता एवं स्टॉक के अंकेक्षण का दायित्व देवें। महिला/पुरूष पर्यवेक्षक बाल विकास परियोजना अधिकारी के निर्देशानुसार परियोजना के अन्य सैक्टर में पूरक पोषाहार की गुणवत्ता एवं स्टॉक का अंकेक्षण कर अपनी रिपोर्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। महिला/पुरूष पर्यवेक्षक द्वारा अन्य सैक्टर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लगभग 10 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण प्रतिमाह आवश्यक रूप से किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जावेगा :–

1. पूरक पोषाहार की गुणवत्ता का सामान्य परीक्षण देखकर एवं चखकर किया जायेगा। पूरक पोषाहार की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सही प्रतीत नंहीं होने पर पूरक पोषाहार का नमूना पूर्ण विवरण सहित प्रयोगशाला जांच हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप निदेशक के माध्यम से पूरक पोषाहार के नमूने को प्रयोगशाला जांच हेतु सम्भाग स्तर पर स्थित स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री या N.A.B.L.अनुमोदित प्रयोगशाला को प्रेषित किये जायेंगे।
2. स्वयं सहायता समूहों द्वारा उपयोग किये जा रहे पोषाहार निर्माण स्थल का निरीक्षण स्वच्छता एवं गुणवत्तापूर्ण पोषाहार तैयार करने हेतु आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा स्वयं के स्तर पर पोषाहार का उत्पादन कर/आपूर्ति की जा रही है।
3. आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध पोषाहार स्टॉक रजिस्टर एवं पोषाहार वितरण रजिस्टर का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आंगनबाड़ी केन्द्र पर पोषाहार की नियमित आपूर्ति हो रही है एवं लाभान्वितों को नियमित रूप से पोषाहार का वितरण किया जा रहा है।

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in

4. महिला/पुरूष पर्यवेक्षक द्वारा अंकेक्षण के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध पोषाहार स्टॉक रजिस्टर एवं पोषाहार वितरण रजिस्टर में अंकित की जावेगी।

उक्त अंकेक्षण/निरीक्षण की रिपोर्ट बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित उपनिदेशक को प्रेषित की जायेगी । बाल विकास परियोजना अधिकारियो से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित उपनिदेशक द्वारा प्रतिमाह 10 तारीख तक समेकित रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित की जायेगी।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ. 3(51)पोषा/SHG/ICDS/2016/ 88945-89260 जयपुर, दिनांक 8/7/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त को भेजकर लेख है कि वे अपने अधीनस्थ महिला/पुरूष पर्यवेक्षकों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें ।
5. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करावें।

(डॉ. ब्रज भूषण शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)